

तुक्री से प्याज
आयात का नया
ठेका जारी

सरकारी कंपनी एमएमटीसी ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयासों के तहत तुक्री से 11 हजार टन प्याज आयात करने का नया ठेका दिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। यह एमएमटीसी द्वारा गया दूसरा ठेका है। कंपनी पहले ही मिस्र से 6,090 टन प्याज का आयात का ऑर्डर दे चुकी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 1.2 लाख टन प्याज आयात करने से अपेक्षित था। देश के विभिन्न हिस्सों में प्याज की खुदार कीमतें 75 से 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाने के बाद इसकी आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से सकारा ने इसके आयात सहित कई कदम उठाए हैं। प्याज नियोत पर रोक लगाई जा चुकी है तथा थोक व खुदार निकेताओं के लिए प्याज के भंडार की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है।

सूत्रों के अनुसार एमएमटीसी ने तुक्री से 11 हजार टन प्याज मंगाने का करार किया है। इसके तहत अगले साल जनवरी से प्याज की खेप गिलाने की शुरुआत की उम्मीद है। मिस्र से 6,090 टन प्याज इस महीने के दूसरे सप्ताह में मुंबई के जवार नेहरू पोर्ट टर्मिनल पर पहुंच सकता है। प्याज के भाव पर नियंत्रण के लिए गृहमंत्री अप्रित शाह की अगुआई में मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। इसमें मंत्री, उपोक्ता कमलतों के मंत्री, कृषि मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री भी रखे गए हैं।

भाषा

कम आपूर्ति, मांग वृद्धि से अनाज में तेजी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 1 दिसंबर

सब्जियों के बाद अनाज के दामों में तेजी आनी शुरू हो गई है। उपभोग के स्वरूप में हो रहे बढ़ावान के कारण मांग बढ़ने और अत्यधिक बारिश की वजह से फसल को पहुंचे नुकसान के बाद खरीफ उत्पादन में गिरावट आने की संभावना से ऐसा हो रहा है। हालांकि सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास बड़ी मात्रा में उपलब्ध स्टॉक की वजह से चावल और गेहूं समेत प्रमुख अनाजों में कुछ ही तेजी आई है, लेकिन इस साल कम पैदावार के पूर्वानुमान के कारण पिछले एक महीने के दौरान मोटा अनाज 16 प्रतिशत तक महंगा हो चुका है।

उदाहरण के लिए बैंचमार्क केकड़ी (राजस्थान) मंडी में ज्वार के दाम हाल ही में 16 प्रतिशत उछलकर 1,890 रुपये प्रति किलोटल हो गए हैं, जबकि नवंबर की

शुरुआत में दाम 1,630 रुपये प्रति किलोटल था। इसी तरह बारे और सारी के दाम भी नवंबर में क्रमशः 3.3 प्रतिशत और 12.7 प्रतिशत बढ़ चुके हैं।

इसके अलावा पिछोर (मध्य प्रदेश) में गेहूं के दाम हल्के-से बढ़कर 1,990 रुपये प्रति किलोटल हो गए हैं, जबकि पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में चावल का भाव 3.1 प्रतिशत तक कम होकर फिलहाल 2,520 रुपये प्रति किलोटल के स्तर पर है। सब्जियों और मोटे अनाज सहित लगभग सभी खाद्य पदार्थों के दामों में काफी इजाफा होने की वजह से उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से रसोई के पूरे बजट पर असर झेलना पड़ेगा जो उनकी बचत बिगाड़ने के लिए काफी रहेगा।

केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री

मदन सबनवीस ने कहा कि प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश के कारण इस साल मोटे अनाजों के उत्पादन में गिरावट आ सकती है। इसके अलावा

नैटिक्सिस ने वर्ष 2020 के दैरान सोने के दामों का परिदृश्य नरम रहने की जारी संभावना

अगले साल धीमी रहेगी सोने की रपतार!

नैटिक्सिस ने वर्ष 2020 के दैरान सोने के दामों का परिदृश्य नरम रहने की जारी संभावना

राजेश भवानी

मुंबई, 1 दिसंबर

सो

ने के दामों में लगातार गिरावट तेजी की राह में पहली बाधा उत्पन्न हो गई है। नैटिक्सिस ने अगले साल के परिदृश्य में गिरावट जारी है। ब्लूमबर्ग के अकड़ों के अनुसार नवंबर में सोने के अंतरराष्ट्रीय दामों में 3.72 प्रतिशत की गिरावट आई है जो नवंबर 2016 के बाद से किसी एक महीने में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट है। तब एक महीने में सोने के दामों में 8.14 थी।

अमेरिका-चीन व्यापार को लेकर सहज माहौल और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विकास वृद्धि के संकेतों के बाद सोने के दाम तकरीबन 100 डॉलर प्रति ऑस्स गिरकर फिलहाल 1,456 डॉलर प्रति ऑस्स हो चुके हैं। नैटिक्सिस के वरिष्ठ जिस विशेषज्ञ कर्नार्ड डहड़ा ने कहा कि वर्ष 2020 में लगातार गिरावट के लिए दामों का हमारा पूर्वानुमान संशोधित करके औसतन 1,370 डॉलर प्रति ऑस्स कर दिया गया है। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संबंध में और अधिक सकारात्मक परिदृश्य तथा हमारी इस उम्मीद को प्रतिविवित करता है कि फेड दर में कटौति का चक्र पूरा हो चुका है।

वर्ष 2019 में अब तक सोने के दाम औसतन 1,385.13 डॉलर के स्तर पर रहे हैं और अगले साल का औसत इससे भी कम नजर आ रहा है।

वर्ष 2018 में औसत दाम 1,264 डॉलर प्रति ऑस्स थे। हालांकि वर्ष 2019 में तेजी का रुख मुख्य रूप से दूसरी छमाही में था और जुलाई से नवंबर के बीच दाम औसतन 1,477 डॉलर पर रहे हैं जिसका अर्थ यह है कि अगर नैटिक्सिस का पूर्वानुमान सकारात्मक रूप से राह रहने के आसर है। कार्नार्ड डहड़ा ने कहा कि व्यापारिक वार्ता और सड़क परिवहन मंत्री भी रखे गए हैं।

कंपनी ने यह भी कहा है कि दो प्रमुख



गिरावट की आहट

- नवंबर में सोने के अंतरराष्ट्रीय दामों में आई है 3.72 प्रतिशत
- नवंबर 2016 के बाद से किसी एक महीने में दर्ज की गई सबसे बड़ी गिरावट है यह
- नैटिक्सिस ने वर्ष 2020 के लिए दामों का पूर्वानुमान संशोधित करके किया औसतन 1,370 डॉलर प्रति ऑस्स

- अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अधिक सकारात्मक वैश्विक व्यापार परिदृश्य में सुधार के सोना नरम रहने के आसार
- शेयर बाजारों में तेजी, फेड ने कमजोर डॉलर से दूसरी रूप संशोधित करके किया औसती मदद

उपभोक्ता देशों - चीन और भारत की मांग में तेजी गिरावट और तीसरी तिमाही में अमेरिकी जीडीपी उम्मीद से बेहतर रहने की वजह से सोने का आकर्षण कम होगा। इससे पहले सोने की गई नीति ने भी कहा था कि विशेष रूप से अमेरिका-चीन के मध्यनजर वैश्विक व्यापार परिदृश्य में सुधार के बाद निकट अवधि में सोना नरम रहने के आसर हैं। कार्नार्ड डहड़ा ने कहा कि व्यापारिक वार्ता और गणशेखर ने कहा कि व्यापारिक वार्ता और दूसरी छमाही में मदद मिल से इससे ।

में आ रही खबरों के कारण निकट अवधि में कुछ दबाव रह सकता है जिससे चलकर वर्ष 2020 में दामों की निर्धारित होगी। हालांकि मध्य संबंध में उनका रुख इतना उन्होंने कहा कि शेयर फेड के रुख में संभव कमजोर डॉलर के दूसरी छमाही में मदद मिल से इससे ।

'तर' मॉनसून से उत्पादन होगा'

भारत का सालाना गेहूं उत्पादन वर्ष 2020 में उछलकर लगातार दूसरे बार रिकॉर्ड स्तर तक जा सकत 25 सालों में सबसे अधिक बाले मानसून के कारण ८ सर्दियों में बोई जा फसल के अंतर्गत करने में मदद इससे उपज उद्योग के यह न की

पूर्वग्रह से परे होना चाहिए मध्यस्थ

एम जे एंटनी

अदालत से

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक बार फिर मध्यस्थ की स्वतंत्रता और तटस्थता की अहमियत पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का किसी विवाद या उसके परिणाम या फैसले में कोई हित है तो वह मध्यस्थ बनने के योग्य नहीं है और न ही वह किसी अन्य को मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की विवाद के समाधान की किसी भी योजना में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

न्यायालय ने कई फैसलों का हवाला देते हुए यह बात कही जिनमें निष्पक्षता के मुद्दे पर चर्चा हुई है। हालांकि ऐसे विवादों से बचने के लिए मध्यस्थता एवं सुलाह नून में 2015 में संशोधन किया गया था लेकिन यह मुद्दा बार-बार उठ रहा है। इस बार मामला परिक्रिया ईस्टमैन आर्किटेक्टस डीपीसी बनाम एचएससीसी इंडिया लिमिटेड बाद से जुड़ा है। न्यूयॉर्क की वास्तुकार कंपनी और मुंबई की एक कंपनी के कंसोर्टियम को गुंदूर में प्रस्तावित एम्स के लिए डिजाइनर सलाहकार नियुक्त किया गया। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के छह दिन बाद ही विवाद पैदा हो गया और कंसोर्टियम को अनुबंध खत्म करने का नोटिस दिया गया। जब कंसोर्टियम ने मध्यस्थता प्रावधान का सहारा लिया तो एचएससीसी के मुख्य प्रबंधक को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। कंसोर्टियम की विरोध किया गया तो एक हुए कहा कि एचएससीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त मध्यस्थ इसके योग्य नहीं हैं और वह निष्पक्ष नहीं होगे। न्यायालय ने इस तर्क को सही ठहराया और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त कर दिया।

परिसीमा नियम का सवाल मध्यस्थ के हवाले

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक अन्य फैसले में कहा कि मध्यस्थता कानून का मकसद मध्यस्थता प्रक्रिया को स्वायत्तता देना और कम से कम न्यायिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करना है। इसलाएं आगर मध्यस्थ की नियुक्त हो गई या पंचाट गिरत हो गया तो सभी सवालों और आपत्तियों का फैसला मध्यस्थता पंचाट करेगा। न्यायालय ने उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाम नौर्सन कोल फील्ड लिमिटेड बाद में अपने फैसले में यह बात कही। इस मामले में कोल्याला कंपनी ने मध्यस्थता का विरोध करने के लिए परिसीमा नियम का सहारा लिया। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने इसे मान लिया लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परिसीमा को मुद्दे का कोल्याला कंपनी ने अपने फैसले में यह बात कही। उच्चतम न्यायालय ने कोल्याला को बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त मध्यस्थ इसके योग्य नहीं हैं और वह निष्पक्ष नहीं होगे। न्यायालय ने इस तर्क को सही ठहराया और एक

जल प्रदूषण के लिए निकाय अधिकारियों पर मुकदमा

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह व्यवस्था दी कि जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियन्त्रण) कानून के तहत नगरपालिका परिषद के निगम आयुक्तों और मुख्य अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया था।

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इस मामले में कर्नाटक प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बनाम बी बीरा नायक वाद में स्थानीय निकाय अधिकारियों के खिलाफ खारिज कर आई थी कि उन्होंने एक ऐसे जलमल शोध संयंत्र से गंदा पानी छोड़ने की अनुमति दी थी जिसका लाइसेंस 2006 में ही खत्म हो गया था। इस संयंत्र के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया। इसके बजाय आरोपी लगातार गंदे पानी को जल स्रोतों में छोड़ते रहे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सभी कंपनियां और स्थानीय शहरी निकाय को कानून के तहत दोषी करार दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि नगरपालिका परिषद एक कंपनी है।

दावे से अधिक मुआवजा

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सड़क दुर्घटनाओं में पंचाट के पास पीड़ितों को दावा से अधिक मुआवजा देने का अधिकार है। जब्तर बनाम महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम वाद में एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि इस बात की कोई बाबी नहीं है कि न्यायालय दावे से ज्यादा मुआवजा नहीं दे सकता है। मोटर वाहन कानून की धारा 168 के तहत पंचाट या न्यायालय का काम उत्तित मुआवजा देना है। इस मामले में एक बस दुर्घटना के कारण फल विक्रेता को अपनी बाजू गंवानी पड़ी। वह 9 लाख रुपये का मुआवजा चाहते थे लेकिन वह न्यायालय की फैसला रकम को असमर्थ थे। असिल एं उन्होंने 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया। बंबई उच्च न्यायालय ने इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया। असिल पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना के दिन से 9 फौसदी व्याज के साथ मुआवजे की राशि 5 लाख रुपये कर दी।

आयकर मामले में वैकल्पिक उपाय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जब आय कर कानून में वैकल्पिक उपाय दिया गया है तो उच्च न्यायालय में जाने से पहले उसका इस्तेमाल होना चाहिए। न्यायालय ने जेनपैक इंडिया बनाम उपायुक्त वाद में अपील खारिज कर दी और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराया। इस मामले में कंपनी के शेयर उसके एकमात्र शेयरधारक और होल्डिंग कंपनी जेनपैक इंडिया इनवेस्टमेंट, मॉरीशस के पास मौजूद शेयरों के दो वापसी लाया गया।

इस बीच शेयरों में पूर्ववर्ती देंगे से संबंधित कानून की धारा 115 क्यूं में संशोधन हो गया और इसके मुताबिक आकलन का आदेश दिया गया। कंपनी ने इसे चुनौती दी। राज्यव्यवस्था के अधिकारियों ने तर्क दिया कि संबंधित प्रावधान 2013 में लाया गया था। दरअसल भारत में सहयोगी कंपनियां कर बचने के लिए शेयरों के पूर्ववर्ती देंगे के आदेश को अद्यतन कर दिया गया। विभाग ने 20 फौसदी की दर से कर मांगा। कंपनी ने इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की लेकिन राज्यव्यवस्था के अपील भी खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने अपील भी खारिज कर दी।

निजी संपत्ति के ऊपर पारेषण लाइन

निजी संपत्ति के ऊपर बिजली पारेषण लाइन बनाने से अक्सर कई पक्षों के बीच मुकदमेबाजी होती है। संपत्ति मालिक इसके लिए राजी नहीं होते हैं, लाभार्थी इसकी मांग करते हैं, बिजली परिवार को निर्बाध पहुंच चाहते हैं और सरकार को जनरेट और अधिक विकास का संरक्षण करना होता है। संचुरी रेयन लिमिटेड बनाम आईवीपी लिमिटेड वाद में रसायन के पक्षी आईवीसी की जमीन से पारेषण लाइन बनाना चाहती थी।

आईवीसी ने इसके खिलाफ एक दीवानी अदालत में याचिका दायर की जिसने नियम पर रोक लगा दी। बंबई उच्च न्यायालय ने रोक के खिलाफ संचुरी रेयन की याचिका खारिज कर दी। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कई शर्तों के साथ काम शुरू करने को अनुमति दे दी। संचुरी भू मालिक के 20 लाख रुपये दोगे चुका है। बिजली विभाग उस काम को पूरा कर सकता है जिस पर पहले ही बहुत काम हो चुका है। टेलीफोन कानून से संबंधित दीवानी मामला चलता रहेगा।

सीएमडी: दो कुर्सियां कितनी जरूरी

चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की भूमिकाओं को अलग करने संबंधी सेबी के आदेश पर प्रवर्तक परिवारों ने आपत्ति जताई है लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि उनका विरोध समझ से परे है

सुदीम दे

हल में मुंबई में कंपनी प्रावधान पर आयोजित सम्मेलन के दौरान आदित्य बिडला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिडला से भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के उस दिवानीदेश पर राय मांगी गई थी जिसके तहत शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक (एमडी) के पद को अप्रैल 2020 से अलग-अलग करने की विरोधी गई थी।

पदों पर पेशेवरों को नियुक्त करने से अधिकतर प्रवर्तक परिवार तत्काल राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ाने के लिए बदलाव करने की विरोधी गई थी। एसा नहीं है कि भारतीय उद्योग जगत में इस प्रकार के विवरण बोर्ड के लिए बदलाव रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में ऐसे नियम बनाए गए हैं। जिनके तहत चेयरमैन और एमडी/सीईओ दोनों पदों को कैसे एक किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह काफी बोर्ड के बदलाव नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में ऐसे नियम बनाए गए हैं। जिनके तहत चेयरमैन और एमडी/सीईओ के पदों को अलग किया गया है। और इसके कारणों से वह काफी जाहिए।

कंपनी प्रावधान की विशेषज्ञ कर्म एक्सिलेंट इनेवलर्स के चेयरमैन और सेबी के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन ने कहा कि यह काफी जाहिए।

दामोदरन का मानना है कि बोर्ड की भूमिका प्रबंधन को सकारात्मक चुनौती देने की होती है। उन्होंने कहा, 'यदि बोर्ड के विवरण बोर्ड के लिए जिम्मेदारी होती है कि प्रबंधन अपना काम भलीभांति कर रहा है।' एमडी प्रबंधन का प्रमुख होता है और वह बोर्ड में प्रबंधन की आरोपी के बारे में जाहिर होता है।

दामोदरन का मानना है कि बोर्ड की भूमिका प्रबंधन को सकारात्मक चुनौती देने की होती है।

भूमिकाओं को अलग कर देनी चाहिए।

हालांकि आदित्य उद्योग जगत के अधिकतर कारोब

